



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 पौष 1934 (श0)  
(सं0 पटना 69) पटना, बृहस्पतिवार, 17 जनवरी 2013

मत्स्य निदेशालय

पुराना सचिवालय, कैन्टीन तालाब, पटना-15

कार्यालय-आदेश

9 जनवरी 2013

सं0 म0/स्था0अ0रा0प0(मु0)-10/12-43—केन्द्रीय अनुकम्पा समिति की दिनांक 10.03.2010 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के ज्ञापांक 1174 दि0 25.03.2010 द्वारा संसूचित अनुशंसा एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1357 दिनांक 16.10.2012 के आलोक में श्री नितेश कुमार चौधरी, पिता— स्व0 नागेन्द्र चौधरी, भूतपूर्व उच्चवर्गीय लिपिक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग(राजभाषा), पटना को विभाग के अधीन वेतन बैंड रु0 5200— 20200/— एवं ग्रेड पे रु0 1900/— में रिक्त समूह— 'ग' के पद "निम्न वर्गीय लिपिक" पर बिल्कुल अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उन्हें मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के अधीन अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2. यह नियुक्ति मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण के निमित्त की जाती है। नवनियुक्त कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि संबंधित मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण का दायित्व पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करेंगे अन्यथा इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

3. संबंधित कर्मचारी को योगदान के पूर्व किसी असैनिक शल्य चिकित्सक से अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अपने नियंत्रि पदाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं0 1919 दि0 20.01.76 के शर्तानुसार दहेज संबंधित घोषणा पत्र यदि विवाहित नहीं हो तो योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

5. किसी भी समय अगर यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा पत्र में किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई है तो उस स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना के संकल्प सं० 2082 दिनांक 01.04.03 के आलोक में निदेशक मत्स्य तत्काल औपबंधिक रूप से तीन माह के लिए योगदान स्वीकृत करेंगे तथा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षरित फोटो का मिलान एवं संपुष्टि कराए जाने तथा फोटो सहित सेवा पुस्त से मिलान किए जाने के बाद योगदान अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा।

7. नव नियुक्त कर्मी की सापेक्ष वरीयता समूह – 'ग' संवर्ग में मानी जाएगी।

8. पदभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
निदेशक मत्स्य।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 69-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>